रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 1986/चैत्र 27, 1908
No. 201] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 1986/CHAITRA 27, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1986

अधिसूचना

सं. 255/86-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 645 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के उप-शीर्ष सं. 2106.11 के अन्तर्गत आने वाले और पचहत्तर रुपए प्रति किलोग्राम

से अनधिक मूल्य के पान मसाला को, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना दस रुपए प्रति किलोग्राम की दर से संगणित रकम से अधिक है, छूट देती है ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "मूल्य" पद से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित मूल्य अभिप्रेत है ।

[फा. सं. बी. 29/1/85-टी. आर. यू.]

के. एस. वेंकटगिरि, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 17th April, 1986

NOTIFICATION

NO. 255|86-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 645(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts pan masala falling under sub-heading No. 2106.11 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), and of value not exceeding rupees seventy-five per kilogram, from so much of the duty of excise leviable thereon which is specified in the said Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of rupees ten per kilogram.

Explanation.— For the purposes of this notification the expression "value" means the value as determined in accordance with the provisions of section 4 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

[F. No. B. 29|1|85-TRU]

K. S. VENKATAGIRI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986